@shahjahanpurpol *प्रेस नोट-सहारनीय कार्य 10/09/2021*

थाना जलालाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

फर्जी IAS अधिकारी बता कर बलात्कार के अभियुक्त को छोडने के लिए कहने वाले अभियुक्तो को किया गिरफ्तार 1

दिनांक 09.09.21 को पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के फोन पर किसी व्यक्ति द्वारा मो0न0 8826237319 से वार्ता कर बताया कि ACS होम बोल रहा हूँ मै मध्य प्रदेश कैडर का IAS अधिकारी हूँ तथा थाना जलालाबाद पर पंजीकृत यौन शोषण के अभियोग मे स्थानीय पुलिस द्वारा प्रवेश व राजीव को परेशान कर रही है तथा जलालाबाद पुलिस से कहें कि इन्हे परेशान न करें तथा विवेचना प्रभावित करने का प्रयास किया गया।

उक्त वार्ता के क्रम में प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद को फोन नम्बर देते हुए निर्देशित किया कि फोन करने वाला व्यक्ति अपने आप को ACS होम मध्य प्रदेश कैंडर बता रहा है तथा बातों से संदिग्ध लग रहा है। तत्काल इसकी जांचकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

इसी क्रम मे जलालाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जलालाबाद पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 10.09.21 की प्रातः रोडवेज बस स्टेण्ड जलालाबाद से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जिनके द्वारा पूछताछ मे अपना नाम (1) किरन कुमार सिंह चन्देल पुत्र स्व0 रामदुलार सिंह चन्देल नि0 ग्राम मुजान थाना मोहनिया जिला कैमूर बिहार (2) प्रवेश कश्यप पुत्र बाबूराम कश्यप नि0 ग्राम रौली बौरी थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर बताया जिनके कब्जे से मोबाईल फोन जिसके द्वारा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर को फोन किया गया था बरामद हुआ। अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी व उनके द्वारा किये गये अपराध के सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है।

अभियुक्तगण—

- 1-किरन कुमार सिंह चन्देल पुत्र स्व0 रामदुलार सिंह चन्देल नि0 ग्राम मुजान थाना मोहनिया जिला कैमूर बिहार 2-प्रवेश कश्यप पुत्र बाबूराम कश्यप नि0 ग्राम रौली बौरी थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर *बरामदगी—*
 - 1-दोनो के कब्जे से बरामद मोबाईल फोन

पुछताछ का विवरणः-

पूछताछ में किरन कुमार के बताया कि मेरा मित्र प्रवेश बलात्कार के अभियोग में फस गया है बचाने के उद्देशय से स्वंय को फर्जी IAS बताकर पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को फोन किया था। स्वयं को फर्जी IAS बताकर किसी और घटना को कारित किये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा गहनता से जानकारी की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग—

1- मु0अ0स0 786/21 धारा 170/417/419 IPC

पुलिस पार्टी का विवरण

- 1. श्री जसबीर सिहं SHO
- 2. SI श्री कैलाश चन्द्र
- 3. SI श्री देशराज सिहं
- 4. है0का0 260 रनवीर सिहं
- 5. है0का0 12 बब्बन खाँ
- 6. का0 570 दिनेश कुमार
- 7. का० 1735 ज्ञानेन्द्र यादव